पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 158 / 2026

1. संदीप सिह पुत्र श्री जरनैलसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. जरनैलसिह पुत्र मुकंद सिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. परमपाल कौर पुत्री जरनैल सिंह पत्नी गुरशरणसिह जाति जटसिख निवासी मिठड़ी कालांवाली ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:– वादी को चक नं0 644 आर. डी. के प0न0 220/303 मु0 51 किलानं0 9/1/.190 है, 10/.194 है0 पूर्वी दिशा, 11/.194 है० पूर्वी दिशा, 12, 19/.506, 20/.194 है0 पूर्वी दिशा की भूमि व चकनं0 650 आर.डी. के खाता सं0 237/215 प्रतिवादीसं० 1 के नाम की 1.910 है, इसी चक के खाता सं0 217/67 में अंकित 9.993 है0 में से प्रतिवादी के 118/3331 हिस्सा की भूमि तथा चक नं0 644 आर. डी. के खाता सं0 129/70 में अंकित कुल 0.759 है0 में से प्रतिवादीसं० 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक न0 644 आर0डी0 के खातासं0 58/53 मे से प्रतिवादीसं० 1 का हिस्सा कम व चकनं० 650 आर.डी. के खाता सं0 237/215 व इसी चक के खाता सं0 217/67 व चकनं0 644 आरडी के खाता सं0 129/70 में से जरनैलसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर